

NOTIFICATION No. 8 OF 2022

SUB: Reservation for Foreign Students – reg

The Executive Committee of the Council in its meeting held on 3rd February, 2022, has approved 10% Supernumerary seats for Foreign Students in all the Nursing Institutions from GNM to M.Sc.(N) and Clinical Specialty Courses. However supernumerary seats will be 25% of total seats granted under Section 13 & 14 of INC Act, 1947 for the Institutions which have parent hospital of 300 beds or more. This will apply to those institutions which are found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of INC Act, 1947.

Further this supernumerary quota of foreign students will not be filled by any other quota/general seats. The above shall be uploaded in the Nursing Admission module available under Nurses Registration and Tracking System (NRTS) in order to know the total number of foreign admissions from 2022-23 academic year.



(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

Copy Forwarded to:

1. Registrar, All Universities offering and examining Nursing Programmes.
2. Registrar, State Nursing Councils
3. Principal, School / College of Nursing.
4. INC Website

फा. सं..1-6/LT/2022-आईएनसी

दिनांक: 05/05/2022

अधिसूचना 2022 की संख्या 8

विषय: विदेशी छात्रों के लिए आरक्षण के संबंध में

परिषद् की कार्यकारी समिति ने 3 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में जीएनएम से लेकर एमएससी (एन) और क्लिनिकल स्पेशलिटी कोर्स तक सभी नर्सिंग संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त सीटों को स्वीकृति दी है। यद्यपि, उन संस्थानों के लिए जिनमें 300 बिस्तरों या अधिक का मूल अस्पताल है, उनके लिए आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत दी गई कुल सीटों का 25% अतिरिक्त सीटें होंगी। यह उन संस्थानों पर लागू होगा जो भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा INC अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत उपयुक्त पाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त विदेशी छात्रों का यह अतिरिक्त कोटा किसी अन्य कोटे/सामान्य सीटों से नहीं भरा जाएगा। 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से विदेशी प्रवेश की कुल संख्या जानने के लिए उपरोक्त नर्स पंजीकरण और ट्रेकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) के तहत उपलब्ध नर्सिंग प्रवेश मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर
सचिव

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. रजिस्ट्रार, नर्सिंग कार्यक्रमों की पेशकश और जांच करने वाले सभी विश्वविद्यालय।
2. रजिस्ट्रार, राज्य नर्सिंग परिषदें
3. प्राचार्य, स्कूल/नर्सिंग कॉलेज।
4. आईएनसी वेबसाइट